राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः एफ.1(2) / III / बी / निर्वा / 2018/7672 जयपुर, दिनांकः– 16-10-2018

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर्स), राजस्थान।

विषयः– प्रशिक्षको को मानदेय देने के संबंध में।
प्रसंगः– भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 590/Training/2013/Fund दिनांक 02 जुलाई, 2013।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी प्रशिक्षको को प्रशिक्षण के प्रति सत्र के लिये राशि रू 500/– मानदेय के रूप में दिया जाना है। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रति सत्र प्रशिक्षणार्थियों के आमंत्रण की संख्या यथासंभव 50 रखें। इसके पश्चात् भी प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 50 से कम रहती है तो भी मानदेय 500 रू. दिया जा सकेगा।

अतः आपके जिले में विधानसभा चुनाव– 2018 के लिये आयोजित सभी प्रशिक्षणों के लिये समस्त प्रशिक्षकों को उक्तानुसार मानदेय दिया जाना सुनिश्चित करें एवं उक्त सूचना विभाग को भी प्रेषित करे। उक्त मानदेय के लिये बजट निर्वाचन विभाग के पत्र क्रमांक 6885 दिनांक 06.10.2018 के द्वारा दिया जा चुका है। उसी बजट से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

संलग्नः– भारत निर्वाचन आयोग का पत्र

भवदीय,
(डॉ0 जोगाराम)
अति0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.1(2) / III / बी / निर्वा / 2018 जयपुर, दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अति0 निजी सचिव, अति0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. वित्तीय सलाहकार, निर्वाचन विभाग, राजस्थान।
6. समस्त राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स।

विशेषाधिकारी,
निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
ई–मेलः– osd.electionrj@gmail.com
दूरभाष नः– 0141–2227255

www.rajteachers.com